

पीत पत्र के बदले में

ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

विभागीय पत्रांक-181 दिनांक-27.02.2025 के आलोक में मै दिनांक-04.03.2025 को पूर्वाहन से क्षेत्र में प्रस्थान करूँगा (विभागीय पत्र संलग्न)।

सादर सूचनार्थ।

ह०/-
(जय प्रकाश नारायण सिंह)
संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


03-03-2025
संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

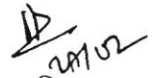
पत्रांक- 181.
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

गन्ना यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा यंत्रक्रय प्रक्रियाधीन है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि किसानों द्वारा यंत्रक्रय की गति बहुत धीमी है। गन्ना यांत्रिकरण योजना को 10 मार्च, 2025 के पहले पूर्ण किया जाना है।

उक्त योजना को गति लाने हेतु पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), प0 चम्पारण (बेतिया) एवं गोपालगंज का नोडल पदाधिकारी श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है एवं सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सिवान, गया एवं पटना का नोडल पदाधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

उक्त दोनों पदाधिकारी 10 मार्च, 2025 तक क्षेत्र में रहकर गन्ना यांत्रिकरण योजना को ससमय पूरा करेंगे एवं कार्यालय संचिका का निष्पादन ई-ऑफिस के माध्यम से सम्पादित करेंगे।

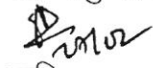

सचिव

गन्ना उद्योग विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 181.

पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, ईख विकास/ उप निदेशक, ईख विकास/ गोपालगंज/ प0 चम्पारण/ पूर्वी चम्पारण/ सीतामढ़ी / समस्तीपुर/ सिवान/ गया/ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

गन्ना उद्योग विभाग